"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-19/गृह-दो/जन./2010.—जनगणना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या वर्ष 1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 के अनुसरण में, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को जनगणना 2011 के लिये कॉलम (4) में दर्शाये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉलम (3) में दर्शाये प्राधिकार के अनुरूप जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

अनुसूची

सरल क्र. (1)	पदाधिकारी (2)	प्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	सामान्यत: वह अधिकारी जो पद में प्रगणकों से वरिष्ठ होगा.	पर्यवेक्षक	उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
2.	शिक्षक, क्लर्क अथवा अन्य कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति	प्रगणक	उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 07-19/गृह-दो/जन./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 07-19/गृह-दो/जन./2010, दिनांक 30-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 30th April 2010

NOTIFICATION

No. F-07-19/Home-2/Census/2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in pursuance of rule 3 of Census Rules, 1990 the State Government hereby appoints the authorities mentioned in column 2 of the Schedule below as Census Officers designated in column 3 for the Census 2011 within the local areas specified in column 4 thereof :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Authorities (2)	Designation (3)	Local Areas (4)
1.	Officers generally of a rank higher than enumerator.	Supervisor	Within the limits of their respective areas
2.	Teachers, Clerks or any official or any person.	Enumerator	Within the limits of their respective areas

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DURGESH CHANDRA MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.